

A study on Role of women in Pnachayati Raj after 73rd Amendment in district Mahendergarh of Haryana, India

¹Dr. Ashok Kumar Yadav and ²Mrs. Madhu

¹Associate Professor, Department of Political Science, Govt. P.G. Collage, Mahendergarh-123001, Haryana (India)

²Research Scholar, Department of Political Science, Singhania University, Pachari Bari, Jhunjhnu-333515, Rajasthan, India

Email-madhuindora@yahoo.com

Abstract: In present study, out of 50 interviewed adult womens are more in number (70%) in village Nangal Kalia while old aged womens are more in number (6%) in village Bass Kirarod. In present study the interviewed female belongs to 0% general category, 14% other backward category and 86% schedule caste category in village Bass Kirarod; 40% general category, 48% other backward category and 22% schedule caste category in village Bihali and 26% general category, 48% other backward category and 26% schedule caste category in village Nangal Kalia. In village Bass Kirarod more women's were secondary (10%); in village Bihali qualification of interview female was secondary (52%), senior secondary (27%), graduate (4%), post graduate (10%) while in village Nangal kalia educational qualification of interview female was secondary (36%), senior secondary (30%), graduate (16%), post graduate (12%) and others (2%). and illiterate (6%). More illetrate womens (48%) in village Bass Kirarod while least women illetrate (8%) in village Nangal Kalia. In present study the family income source of interviewed female were also observed. Maximum house women observed, i.e., 56% in village Bass Kirarod, 42% in village Bihali and 32% in village Nangal Kalia; agricultural income source of family i.e., 40% in village Bass Kirarod and 28% in village Bihali and Nangal Kalia; government employee income source i.e., 20% in village Bihali, 18% in village Nangal Kalia and 0% in village Bass Kirarod and non government employee income source maximum 16% in village Nangal Kalia and 10% in village Bihali. In the present study, women awareness about 73rd amendment and Panchayati were also observed. The awareness about 73rd amendment were observed maximum 10% in village Bihali and least (0%) in village Bass Kirarod; income source of Panchayati raj maximum 16% in village Nangal Kalia and least 0% in village Bass Kiraod; knowledge of work and power of Panchayati raj were observed maximum 24% in village Bihali and minimum 2% in village Bass Kirarod; knowledge of position of female in Panchayati raj were maximum 18% in village Nangal Kalia and least 6% in village Bihali and Bass Kirarod; knowledge of women empowerment in Panchayati raj were observed maximum 16% in village Bihali and minimum 4% in village Bass Kirarod. In the present study out 50 interviewed women's participated as 80% women as voter, 2% women's with political parties, 8% women's as movement and only 10% women's as candidate in election of Panchayati Raj in village Bass Kirarod. Also in village Bihali, out 50 interviewed women's participated as 56% women as voter, 4% women's with political parties, 18% women's as movement and only 10% women's as candidate in election of Panchayati Raj. Also out 50 interviewed women's participated as 84% women as voter, 10% women's with political parties, 2% women's as movement and only 4% women's as candidate in election of Panchayati Raj in village Nangal Kalia.

[Ashok Kumar Yadav and Madhu. **A study on Role of women in Pnachayati Raj after 73rd Amendment in district Mahendergarh of Haryana, India.** *Academ Arena* 2017;9(6):1-12]. ISSN 1553-992X (print); ISSN 2158-771X (online). <http://www.sciencepub.net/academia>. 1. doi:[10.7537/marsaaj090617.01](https://doi.org/10.7537/marsaaj090617.01).

Keywords: Haryana, Mahendergarh, Women's, Panchayati Raj, 73rd Amendment, India

हरियाणा के महेन्द्रगढ़ जिले में 73 वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् महिलाओं कि पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी का अध्ययन

¹डॉ. अशोक कुमार यादव और ²मधु

¹राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय वरिष्ठ स्नातकोत्तर महाविद्यालय महेन्द्रगढ़-123001, हरियाणा (भारत)

²राजनीति विज्ञान विभाग, सिंधानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी, झुंझुनू-333515, राजस्थान (भारत)

Email-madhuindora@yahoo.com

सार: वर्तमान अध्ययन में 50 महिलाओं में युवा उम्र की महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा 70% गाँव नांगल कालिया, अंतर्गत बुजुर्ग महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा 6% गाँव बास किरारोद में मिली। गाँव बास किरारोद कि साक्षात्कार महिलाओं में सामान्य वर्ग की 0%, पिछड़े वर्ग की 14% तथा अनुसूचित जाति की 86% महिलाएं; गाँव बिहाली में 50 महिलाओं में 40% सामान्य वर्ग की, 48% पिछड़े वर्ग की तथा 24% अनुसूचित जाति की महिलाएं तथा गाँव नांगल कालिया में 26% सामान्य वर्ग की, 48% पिछड़े वर्ग की तथा 26% अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा शैक्षिक योग्यता 10% दसवीं गाँव बास किरारोद, गाँव बिहाली में साक्षात्कार महिलाओं की शैक्षिक योग्यता 52% दसवीं, 26% उच्च माध्यमिक, 4% स्नातक तथा 10% स्नातकोत्तर तथा गाँव नांगल कालिया में 36% दसवीं, 30% उच्च माध्यमिक, 16% स्नातक, 12% स्नातकोत्तर तथा 2% अन्य शैक्षिक योग्यता है। अनपढ़ महिलाएं सबसे ज्यादा 48% गाँव बास किरारोद में तथा सबसे कम (8%) गाँव नांगल कालिया में हैं। साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओं की पारिवारिक आय के स्रोतों में सबसे ज्यादा घरेलू महिलायें 56% गाँव बास किरारोद में, 42% गाँव बिहाली में तथा 32% गाँव नांगल कालिया; इसके बाद पारिवारिक कृषि स्रोत 40% गाँव बास किरारोद में तथा 28% गाँव बिहाली तथा नांगल कालिया; गाँव की कुल सरकारी नौकरी आय स्रोत 20% गाँव बिहाली में, 18% गाँव नांगल कालिया में तथा 0% गाँव बास किरारोद; जबकि गैर सरकारी नौकरी आय स्रोत सबसे ज्यादा 16% गाँव नांगल कालिया, 10% गाँव बिहाली में है। वर्तमान साक्षात्कार के अंतर्गत पंचायती राज के प्रति जागरूकता के आधार पर 73 वें संवैधानिक संशोधन का ज्ञान सबसे ज्यादा (10%) गाँव बिहाली में तथा सबसे कम (0%) गाँव बास किरारोद; पंचायती राज कि आय का स्रोत का ज्ञान सबसे ज्यादा (16%) गाँव नांगल कालिया तथा सबसे कम (0%) गाँव बास किरारोद; पंचायत की शक्ति और कार्य का ज्ञान सबसे ज्यादा (24%) गाँव बिहाली तथा सबसे कम (2%) गाँव बास किरारोद; पंचायती राज, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा महिलाओं के आरक्षण का ज्ञान सबसे ज्यादा (18%) कालिया नांगल तथा सबसे कम (6%) गाँव बिहाली तथा बास किरारोद; महिला सशक्तिकरण का ज्ञान सबसे ज्यादा (16%) गाँव बिहाली तथा सबसे कम 4% गाँव बास किरारोद; पंचायती राज में जागरूकता का अभाव का ज्ञान सबसे ज्यादा (8%) गाँव बास किरारोद, तथा सबसे कम (4%) गाँव नांगल कालिया तथा बिहाली की महिलाओं मिली। वर्तमान साक्षात्कार के अंतर्गत गाँव बास किरारोद की महिलाओं का 80% महिलायें मतदाता के रूप में, 2% महिलायें राजनीति पार्टी के साथ, 8% महिलायें आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 10% महिलायें अभ्यर्थी के रूप में भाग लेने का व्यावहारिक ज्ञान; गाँव बिहाली की महिलाओं का 56% महिलायें मतदाता के रूप में, 4% महिलायें राजनीति पार्टी के साथ, 18% महिलायें आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 10% महिलायें अभ्यर्थी के रूप में भाग लेने का व्यावहारिक ज्ञान तथा गाँव नांगल कालिया की महिलाओं का 84% महिलायें मतदाता के रूप में, 10% महिलायें राजनीति पार्टी के साथ, 2% महिलायें आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 4% महिलायें अभ्यर्थी के रूप में भाग लेने का व्यावहारिक ज्ञान मिला।

कुंजी शब्द: हरियाणा, महेन्द्रगढ़, महिलायें, ग्रामीण पंचायती राज, संवैधानिक संशोधन

प्रस्तावना: भारत गाँवों का देश है। गाँवों की उन्नति और प्रगति पर ही भारत की उन्नति एवं प्रगति निर्भर करती है। महात्मा गांधी के अनुसार, यदि गाँव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा। भारत के संविधान निर्माता भी इस

तथ्य से भली-भांति परिचित थे, अतः देश के विकास एवं उन्नति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर पर्याप्त ध्यान दिया गया। संविधान के अनुच्छेद-40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति-निदेशक

तत्त्वों के अंतर्गत रखा गया है (सिन्हा हरेन्द्र, 2011; गीता और संजय मिश्रा, 2016)। वस्तुतः भारतीय लोकतंत्र इस आधारभूत अवधारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जनता अधिक-से-अधिक शासन सम्बन्धी कार्यों में हाथ बँटाएँ तथा स्वयं पर राज करने का उत्तरदायित्व स्वयं वहन करे। पंचायतें भारत के राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ हैं। देश के राजनीतिक भविष्य एवं भावी राजनीतिक चाल का निर्धारण संघीय व्यवस्था में बैठे बड़े-बड़े राजनीतिज्ञ की अपेक्षा, विभिन्न राज्यों के ग्रामीण अंचलों में विद्यमान पंचायती राज संस्थाएँ ही करती हैं (शाह, 2002)। भारत में पंचायती राज (पंचायत समिति-बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, मंडल पंचायत-आन्ध्र प्रदेश, पंचायत यूनियन-तमिलनाडु, आंचलिक परिषद-पश्चिम बंगाल, आंचलिक पंचायत-असम, तालुका डवलपमेंट बोर्ड-कर्नाटक, जनपद पंचायत-मध्य प्रदेश, अंचल समिति-अरुणाचल प्रदेश, क्षेत्र समिति-उत्तर प्रदेश तथा ग्राम पंचायत-हरियाणा) कई नामों से जानी जाती है (हूजा, 2007, गंगेश्वर, 2012)। ग्राम पंचायतों में पंचायती राज बनाये रखने के लिए संविधान में कई बार संशोधन किये गए हैं। 73 वें संवैधानिक संशोधन (1992) के अनुसार भारत में पंचायती राज के अंतर्गत महिलाओं को पूरी छूट दी गयी है। इसके अनुसार पंचायत के अध्यक्ष को सामान्य मुखिया/सरपंच कहते हैं। पंचायती राज के तीनों भाग, गाँव के ऊपर ग्राम पंचायत, ब्लाक स्तर के ऊपर पंचायत समिति तथा जिला स्तर के ऊपर जिला परिषद् का गठन किया है जिसमें महिलाओं के 33% आरक्षण का भी प्रावधान है (मिश्रा, 2001; यादव और मधु, 2015; यादव और मधु, 2017)। भारत के मुख्यतः राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान की तरह हरियाणा में बड़ी-बड़ी खाप पंचायतें हैं। हरियाणा में इन गैर कानूनी पंचायतों के ज्यादातर फ़ैसले, इज्जत की परिभाषा और रूढ़िवादी सोच पर आधारित होते हैं (डॉ. अजय रंगा, 2013)।

विभिन्न सामाजिक-आर्थिक रूकावटों के कारण महिलाओं को अपनी सांख्यिकी शक्ति के बावजूद समाज में बहुत छोटा दर्जा प्राप्त है। महिलाओं द्वारा अनौपचारिक राजनैतिक क्रियाओं में तीव्र वृद्धि के बावजूद राजनैतिक संरचना में इनकी भूमिका वास्तव में अपरिवर्तित रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति दोगुने दर्जे की है।

यदि कोई महिला आगे बढ़कर कोई कार्य करना भी चाहती है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता। समाज में पर्दा प्रथा, पुराने रीति-रिवाज तथा रूढ़वादिता आज भी विद्यमान हैं, जिससे महिलाएं विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही हैं। कई गाँवों में जातिवाद आज भी विद्यमान है। कुछ गाँवों में जहाँ महिला सरपंच अनुसूचित जाति की हैं, वहाँ अन्य महिला प्रतिनिधि जो सामान्य तथा पिछड़े वर्ग की पंच महिला हैं, पंचायत की बैठकों में नहीं जातीं क्योंकि उनका मानना है कि महिला सरपंच नीची जाति की हैं और नीची जाति की महिलाओं के साथ बैठने से उनका अपमान होगा (जैन, 1999; चौहान एट अल., 2015)। अशिक्षित महिला प्रतिनिधि भी महसूस करती हैं कि उन्हें भी पढ़ा-लिखा होना चाहिए ताकि वे भी पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों को बना सकें और उन्हें कार्यान्वित कर सकें। महिला प्रतिनिधियों को पंचायत का प्रतिनिधि बनने से पहले या बाद में प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिन गाँवों में पंचायत भवन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ महिला प्रतिनिधि पंचायतों की बैठक में नहीं जा पातीं। अधिकांशतः बैठक गाँव के स्कूलों में होती है, जो गाँव से काफी दूरी पर होते हैं। पंचायती चुनावों में कई क्षेत्रों में यह देखा गया कि समाज के प्रभावशाली व्यक्ति अपनी ही पत्नी, बहन, मां अथवा किसी अन्य संबंधी महिला को चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर देते हैं, जो बाद में उन्हीं के इशारे पर काम करने को विवश होती हैं (मिश्रा एट अल., 2011)। इस प्रकार महिलाओं को एक-तिहाई स्थानों तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में से भी एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित प्रावधान की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। गाँवों में दलबंदी होने के कारण छोटे-छोटे झगड़े होते हैं और जनकल्याण की योजनाओं के प्रति वे सही निर्णय नहीं ले पातीं (राकेश शर्मा निशित, 2006)। आज तक हरियाणा के अंदर 73 वें संवैधानिक संशोधन से पहले व उसके बाद कि पंचायती राज कि स्थिति व महिलाओं कि स्थिति के अध्ययन के ऊपर कोई ज्यादा अनुसन्धान नहीं हुए हैं इसलिए वर्तमान अध्ययन में “हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में 73 वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् महिलाओं कि पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी का अध्ययन” का आयोजन किया है।


अध्ययन क्षेत्र और कार्यविधि: हरियाणा (27° 39' ओर 30° 55' उतरी अक्षांश से 74° 27' ओर 77° 36' पूर्वी देशांतर), उत्तर-पश्चिम भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की स्थापना 1 नवम्बर 1966 को हुई। हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44, 212 वर्ग किमी हैं। हरियाणा में 21 जिले, 3 उप मण्डल, 83 तहसील, 47 उप-तहसील, 126 खण्ड(ब्लॉक), 6,841 गाँव, 154 नगर, 119 पंचायत समिति, 1 उच्चतम न्यायालय (पंजाब ओर हरियाणा उच्चतम न्यायालय), एक सदनसभा विधानसभा (विधानमण्डल) हैं। हरियाणा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 90, लोकसभा सदस्यों की संख्या 10 तथा राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5 हैं। क्षेत्रफल कि दृष्टि से देश में हरियाणा का 20वां और जनसंख्या कि दृष्टि से 17वां स्थान हैं। इसकी सीमायें उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण एवं पश्चिम में राजस्थान, पूर्व में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, उत्तर-पश्चिम से जुड़ी हुई हैं। इस राज्य के चार मण्डल (अंबाला, हिसार, गुड़गाँव और रोहतक) हैं। हरियाणा राज्य में ग्रामीण व्यवस्था पर ग्राम पंचायतों का नियन्त्रण होता है, जो कि समाज में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखती है। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में खाप पंचायतें विद्यमान रही हैं। इस तरह की पंचायतें विशेषकर जाट बाहुल्य क्षेत्रों में सक्रिय हैं (डॉ. शिव भावना, 2013)।

जिला महेंद्रगढ़ (29° 52' ओर 30° 12' उतरी अक्षांश 76° 26' ओर 77° 04' पूर्वी देशांतर) हरियाणा का एक जिला है। कानौड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किए जाने कि वजह से महेंद्रगढ़ शहर पहले कानौड़ के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि बाबर के एक सेवक मलिक महदूद खान ने बसाया था। सत्रहवीं शताब्दी में मराठा शासक तांत्या टोपे ने यहा एक किले का निर्माण करवाया था। 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराज नरेन्द्र सिंह ने अपने पुत्र मोहिन्द्र सिंह के सम्मान में इस किले का नाम महेंद्रगढ़ रख दिया था। महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा राज्य के दक्षिण-पश्चिम छोर के अन्तिम सिरे पर स्थित हैं। इस जिले का निर्माण भी 1 नवम्बर 1966 को हुआ था। इसका मुख्यालय नारनौल है। इसका कुल क्षेत्रफल 1938.46 वर्ग कि.मी. हैं। इसकी पश्चिम-दक्षिण की सीमायें तथा पूर्वी सीमा का एक बड़ा भाग राजस्थान प्रदेश तथा पूर्वी सीमा का शेष भाग हरियाण के जिला रेवाड़ी व उत्तरी भाग भिवानी

जिले के साथ लगती हैं। इस जिले का कुल क्षेत्रफल 1939.6 वर्ग किलोमीटर हैं, जिसमें से 1916.9 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण तथा 22.7 वर्ग किलोमीटर शहरी क्षेत्र में आता है। इसमें नारनौल उप मण्डल का कुल क्षेत्रफल 952.9 वर्ग किलोमीटर तथा महेंद्रगढ़ व कनीना उपमण्डल का कुल क्षेत्रफल 986.7 वर्ग किलोमीटर है।

जिले में उक्त तीन उपमण्डल के अतिरिक्त नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, कनीना व नांगलचौधरी पांच तहसील, सतनाली उपतहसील तथा नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, कनीना, नांगल चौधरी, सतनाली, निजामपुर व सिहमा आठ विकास खण्ड सम्मिलित हैं। महेंद्रगढ़ जिले में गावों की संख्या 370 जिनमें 344 पंचायतें बनती हैं। जिला महेंद्रगढ़ में 5 पंचायत समितीय, 140 पंचायत समितीय सदस्य तथा 18 जिला परिषद् सदस्य हैं। इस जिले में 4 नगरपालिकाएँ (महेंद्रगढ़, नारनौल, कनीना तथा अटेली मंडी) हैं।

वर्तमान अध्ययन में महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल तहसील के गाँव बास किरारोद उमराबाद, अटेली तहसील के बिहाली गाँव तथा नांगल चौधरी तहसील के गाँव नांगल कालिया में जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक किया गया है (चित्र-1)। गाँव बास किरारोद उमराबाद अनुसूचित जाति बहुमूल्य तथा बिहाली तथा नांगल कालिया यादव बहुमूल्य क्षेत्र हैं। वर्तमान अध्ययन के लिए क्रम रहित नमूना विधि (नन्दल, 2013) का प्रयोग किया गया है, जिसमें प्राथमिक और द्वितीय आकड़े का प्रयोग किया गया है | प्राथमिक आकड़े के लिए तीनों गांवों के सभी जातिय श्रेणी में क्रम रहित 50-50 महिलाओं का अलग-अलग साक्षात्कार लिया गया था | द्वितीय डाटा को विभिन्न सरकारी अभिलेख के माध्यम से प्राप्त किया गया | 73 वे संवैधानिक संसोधन के पश्चात् महिलाओं कि पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी का अध्ययन करने के लिए महिलाओं की उम्र, शिक्षा, जाति, परिवार, परिवार प्रकार, परिवार आकार तथा परिवार आय स्रोत आदि का विश्लेषण किया गया | इसके बाद दोनों प्रकार के आकड़ों का विश्लेषण स्टैटिक्स विधि द्वारा किया गया |



चित्र 1 अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा (भारत)

परिणाम तथा विचार विमर्श:

वर्तमान अध्ययन में महेन्द्रगढ़ जिले के नारनौल तहसील के गाँव बास किरारोद उमराबाद, अटेली तहसील के बिहाली गाँव तथा नांगल चौधरी तहसील के गाँव नांगल कालिया में 50-50 महिलाओं का अध्ययन जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक किया गया है। इन 50-50 महिलाओं का साक्षात्कार अलग-अलग लिया गया तथा इसके माध्यम से महिलाओं की पंचायती राज में भागीदारी का वर्णन किया गया।

गाडेकर (2016) ने प्लस तालुका (जिला सांगली, महाराष्ट्र) ने प्राथमिक जानकारी में पंचायत के तीनो भाग, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद् से 30 प्रतिनिधि महिलाओं का साक्षात्कार ले कर अध्ययन किया। उसने पाया कि पंचायत कि 30 प्रतिनिधि महिलाओं में 40% कि उम्र 40-50 वर्ष, 46.7% प्रतिनिधि महिलाओं कि शिक्षा उच्च माध्यमिक, 56.6% प्रतिनिधि महिलाएँ सामान्य वर्ग से, 86.9% प्रतिनिधि महिलाओं कि पारिवारिक आय कृषि,

46.7% प्रतिनिधि महिलाओं के परिवार के सदस्यों कि संख्या 6-9 तथा 43.3% प्रतिनिधि महिलाओं के परिवार कि वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा थी। कोल ओर साहनी (2009) ने जम्मू-कश्मीर के 2 जिले (जम्मू ओर कठुवा) की महिलाओं की पंचायती राज में भाग लेने वाली समस्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि 33 महिलाओं में से 2 महिलाएँ, जिनका निर्वाचन पंचायत में हुआ उनका भी सम्मान नहीं किया जाता था। इन 33 महिलाओं में 23-50 वर्ष की 66% महिलाएँ, 51-70 वर्ष की 18% महिलाएँ तथा 70 वर्ष से ज्यादा 2% महिलाएँ थीं। नन्दल (2013) ने हरियाणा में जिला सोनीपत के गाँव अलवाली में महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में भागीदारी का अध्ययन किया। उसने अपने अध्ययन के अंतर्गत महिलाओं की शैक्षिक योग्यता तथा उनके परिवार के आय के स्रोतों का अध्ययन किया। उसने गाँव अलवाली में 50 महिलाओं में केवल 34% महिलाएँ माध्यमिक, 14% उच्च माध्यमिक, 13% स्नातक, 10% स्नातकोत्तर तथा केवल 6% महिलाएँ अनपढ़ पाईं। इन महिलाओं में 48% महिलाओं के परिवार की आय कृषि, 14% महिलाओं के परिवार की आय सरकारी नौकरी, 12% महिलाओं के परिवार की आय गैर-सरकारी तथा 26% महिलाओं के परिवार की आय अन्य स्रोत थी। वर्तमान अध्ययन में 50 महिलाओं में युवा उम्र कि महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा 70% गाँव नांगल कालिया, 62% गाँव बिहाली में तथा 42% गाँव बास किरारोद में मिली। वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत बर्जर्ग महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा 6% गाँव बास किरारोद तथा बिहाली तथा सबसे कम 4% गाँव नांगल कालिया में पाई गई है (तालिका 1, चित्र 2)। गाँव बास किरारोद कि साक्षात्कार महिलाओं में सामान्य वर्ग की 0%, पिछड़े वर्ग की 14% तथा अनुसूचित जाति की 86% महिलाएँ मिलीं। गाँव बिहाली में 50 महिलाओं में 40% सामान्य वर्ग की, 48% पिछड़े वर्ग की तथा 24% अनुसूचित जाति की महिलाये थीं। इस प्रकार गाँव नांगल कालिया में 26% सामान्य वर्ग की, 48% पिछड़े वर्ग की तथा 26% अनुसूचित जाति की महिलाएँ थीं (तालिका 2 तथा चित्र 3)। 50 साक्षात्कार महिलाओं में सबसे ज्यादा शैक्षिक योग्यता 10% दसवी तथा 26% गाँव बास किरारोद में मिली। उसी प्रकार गाँव बिहाली में साक्षात्कार महिलाओं की शैक्षिक


योग्यता 52% दसवी, 26% उच्च माध्यमिक, 4% स्नातक तथा 10% स्नातकोत्तर मिली। इस प्रकार गाँव नांगल कालिया में 36% दसवी, 30% उच्च माध्यमिक, 16% स्नातक, 12% स्नातकोत्तर तथा 2% अन्य शैक्षिक योग्यता आकी गयी (तालिका 3 तथा चित्र 4)। अनपढ़ महिलाएँ सबसे ज्यादा 48% गाँव बास किरारोद में तथा सबसे कम (8%) गाँव नांगल कालिया में मिली (तालिका 3 तथा चित्र 4)। उसकी प्रकार संधू तथा शर्मा (2012) ने 41 प्रतिनिधि महिलाएँ का अध्ययन किया जो राजस्थान के जिला करोली (खण्ड हिनून तथा नदोली) से चुनाव लड़ रही थीं। उसने पाया कि 41 प्रतिनिधि महिलाओं में 5% महिलाएँ प्राथमिक, 28% महिलाएँ अनपढ़, 17% महिलाएँ माध्यमिक तथा 3% महिलाएँ स्नातक थीं। 41 प्रतिनिधि महिलाओं में जातिय आधार पर 27% महिलाएँ सामान्य वर्ग, 39% महिलाएँ अन्य पिछड़ा वर्ग, 27% अनुसूचित जाती तथा 7% अनुसूचित जन जाती से थीं।

साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओं की पारिवारिक आय के स्रोतों का भी अध्ययन किया गया। सबसे ज्यादा घरेलू महिलाये 56% गाँव बास किरारोद में, 42% गाँव बिहाली में तथा 32% गाँव नांगल कालिया में मिली। इसके बाद पारिवारिक कृषि स्रोत 40% गाँव बास किरारोद में तथा 28% गाँव बिहाली तथा नांगल कालिया में मिली। गाँव की कुल सरकारी नौकरी आय स्रोत 20% गाँव बिहाली में, 18% गाँव नांगल कालिया में तथा 0% गाँव बास किरारोद में आंकी गई। जबकि गैर सरकारी नौकरी आय स्रोत सबसे ज्यादा 16% गाँव नांगल कालिया, 10% गाँव बिहाली (तालिका 4, चित्र 5)। वर्तमान साक्षात्कार के अंतर्गत पंचायती राज के प्रति जागरूकता के आधार पर भी महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया गया। इनमें से 73 वे सवैधानिक संसोधन का ज्ञान सबसे ज्यादा (10%) गाँव बिहाली में तथा सबसे कम (0%) गाँव बास किरारोद; पंचायती राज की आय का स्रोत का ज्ञान सबसे ज्यादा (16%) गाँव नांगल कालिया तथा सबसे कम (0%) गाँव

बास किरारोद; पंचायत की शक्ति और कार्य का ज्ञान सबसे ज्यादा (24%) गाँव बिहाली तथा सबसे कम (2%) गाँव बास किरारोद; पंचायती राज, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा महिलाओं के आरक्षण का ज्ञान सबसे ज्यादा (18%) कालिया नांगल तथा सबसे कम (6%) गाँव बिहाली तथा बास किरारोद; महिला सशक्तिकरण का ज्ञान सबसे ज्यादा (16%) गाँव बिहाली तथा सबसे कम 4% गाँव बास किरारोद; पंचायती राज में जागरूकता का अभाव का ज्ञान सबसे ज्यादा (8%) गाँव बास किरारोद, तथा सबसे कम (4%) गाँव नांगल कालिया तथा बिहाली में मिली (तालिका 5, चित्र 6)। वर्तमान साक्षात्कार के अंतर्गत गाँव बास किरारोद की महिलाओं का 80% महिलाये मतदाता के रूप में, 2% महिलाये राजनीति पार्टी के साथ, 8% महिलाये आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 10% महिलाये अभ्यर्थी के रूप में भाग लेने का व्यावहारिक ज्ञान आंका गया। उसी प्रकार गाँव बिहाली की महिलाओं का 56% महिलाये मतदाता के रूप में, 4% महिलाये राजनीति पार्टी के साथ, 18% महिलाये आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 10% महिलाये अभ्यर्थी के रूप में भाग लेने का व्यावहारिक ज्ञान आंका गया। इस प्रकार गाँव नांगल कालिया की महिलाओं का 84% महिलाये मतदाता के रूप में, 10% महिलाये राजनीति पार्टी के साथ, 2% महिलाये आन्दोलन के सदस्य के रूप में तथा 4% महिलाये अभ्यर्थी के रूप में भाग लेने का व्यावहारिक ज्ञान आंका गया (तालिका 6, चित्र 7)। इसी प्रकार सिंह (2011) ने स्वेडन और भारत की महिलाओं का पंचायती राज के प्रति जागरूकता का अध्ययन किया। उसने पाया कि स्वेडन की महिलाएँ हमारे देश की महिलाओं के मुकाबले में ज्यादा जागरूक हैं। क्योंकि वहाँ पर बेरोजगारी, अनपढ़ता तथा जनसँख्या जैसी समस्या नहीं है। भारत में केवल 12% महिलाएँ ऐसी हैं जिनकी पंचायत के आय स्रोत; शक्ति और कार्य; महिलाओं की स्थिति; लोकसभा; राज्यसभा; विधानसभा और पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण का ज्ञान है।

तालिका 1: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में उम्र अनुसार साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण।


उम्र समूह	गाँव बास किररोद (नारनौल)		गाँव बिहाली (अटेली)		गाँव नांगल कालिया (नांगल चौधरी)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
युवा उम्र समूह (18-30)	21	42%	31	62%	35	70%
middle उम्र समूह (31-50)	26	52%	16	32%	13	26%
बुजुर्ग उम्र समूह (50 से ज्यादा)	3	6%	3	6%	2	4%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%



चित्र 2: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में उम्र अनुसार साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण।

तालिका 2: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में जाति के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण।


उम्र समूह	गाँव बास किररोद (नारनौल)		गाँव बिहाली (अटेली)		गाँव नांगल कालिया (नांगल चौधरी)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सामान्य वर्ग	0	0%	10	20%	13	26%
अनुसूचित जाति वर्ग	43	86%	12	24%	13	26%
पिछड़ा वर्ग	7	14%	28	48%	24	48%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%



चित्र 3: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में जाति के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण।

तालिका 3: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में शिक्षा के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण।


शैक्षिक योग्यता	गाँव बास किररोद (नरनौल)		गाँव बिहाली (अटेली)		गाँव नांगल कालिया (नांगल चौधरी)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
अनपढ़	24	48%	5	10%	4	8%
दसवी	5	10%	26	52%	18	36%
उच्च माध्यमिक	13	26%	11	26%	15	30%
स्नातक	0	0%	2	4%	8	16%
स्नातकोत्तर	0	0%	5	10%	6	12%
अन्य	0	0%	1	2%	1	2%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%



चित्र 4: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में शिक्षा के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण।

तालिका 4: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में पारिवारिक आय के स्रोत के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण।


आय के स्रोत	गाँव बास किररोद (नारनौल)		गाँव बिहाली (अटेली)		गाँव नांगल कालिया (नांगल चौधरी)	
	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
घरेलू महिला	28	56%	21	42%	16	32%
सरकारी नौकरी	0	0%	9	18%	10	20%
गैर सरकारी नौकरी	0	0%	5	10%	8	16%
कृषि	20	40%	14	28%	14	28%
अन्य	2	4%	1	2%	2	4%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%



चित्र 5: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में पारिवारिक आय के स्रोत के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण।

तालिका 5: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में पंचायती राज के प्रति जागरूकता के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण ।

जागरूकता	गाँव बास किररोद (नारनौल)		गाँव बिहाली (अटेली)		गाँव नांगल कालिया (नांगल चौधरी)	
	साक्षात्कार (उतर हा)	प्रतिशत	साक्षात्कार (उतर हा)	प्रतिशत	साक्षात्कार (उतर हा)	प्रतिशत
73 वे सवैधानिक संसोधन का ज्ञान	0	0%	5	10%	2	4%
पंचायत के आय के स्रोत	4	8%	9	8%	8	16%
पंचायत कि शक्ति और कार्य	1	2%	12	24%	2	4%
पंचायत में महिलाओ कि स्थिति का ज्ञान	0	0%	4	8%	4	8%
पंचायतीराज, विधानसभा लोकसभा, राज्यसभा का ज्ञान व महिलाओ के आरचण का ज्ञान	3	6%	3	6%	9	18%
महिला सशक्तिकरण का ज्ञान	2	4%	8	16%	5	10%
पंचायती राज जागरूकता अभाव	4	8%	2	4%	2	4%
नामालूम	36	72%	7	14%	8	16%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%




अ-73 वे सवैधानिक संसोधन का ज्ञान, आ- पंचायत के आय के स्रोत, इ- पंचायत कि शक्ति और कार्य, ई- पंचायत में महिलाओ कि स्थिति का ज्ञान, उ- पंचायतीराज,विधानसभा लोकसभा, राज्यसभा का ज्ञान व महिलाओ के आरक्षण का ज्ञान, ऊ- महिला सशक्तिकरण का ज्ञान,, ऋ- पंचायती राज जागरूकता अभाव, ए-नामालूम

चित्र 6: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में पंचायती राज के प्रति जागरूकता के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण |

तालिका 6: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में पंचायती राज चुनावों में चुनाविक भागीदारी के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण |

भागेदारी	गाँव बास किररोद (नरनौल)		गाँव बिहाली (अटेली)		गाँव नांगल कालिया (नांगल चौधरी)	
	साक्षात्कार (उत्तर हा)	प्रतिशत	साक्षात्कार (उत्तर हा)	प्रतिशत	साक्षात्कार (उत्तर हा)	प्रतिशत
मतदाता के रूप में	40	80%	28	56%	42	84%
राजनैतिक पार्टी के साथ	1	2%	8	4%	5	10%
आन्दोलन के सदस्य के रूप में	4	8%	9	18%	1	2%
अभ्यर्थी के रूप में	5	10%	5	10%	2	4%
कुल	50	100%	50	100%	50	100%



चित्र 7: अध्ययन क्षेत्र जिला महेन्द्रगढ़ में पंचायती राज चुनावों में चुनाविक भागीदारी के आधार पर साक्षात्कार के अंतर्गत महिलाओ का वर्गीकरण |

निष्कर्ष: वर्तमान अध्ययन के अंतर्गत जनवरी, 2015 से दिसम्बर, 2016 तक जिला महेंद्रगढ़ के गाँव बास किरारोद धनीपुर (नरनौल), नांगल कालिया (नांगल चौधरी) तथा बिहाली (अटेली) में 50-50 महिलाओं का चयन किया गया इसके माध्यम से महिलाओं की पंचायती राज में भागीदारी का वर्णन किया गया। वर्तमान अध्ययन में पाया गया की औसत 4% महिलाएँ ऐसी थीं जिनको पंचायती राज, विधानसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा में आरक्षित पदों का ज्ञान है। बाकी महिलाओं को पंचायती शक्ति तथा कार्य एवम् आय के स्रोत का कम ज्ञान है। अध्ययन में पाया गया की हरियाणा राज्य विकसित होने के बावजूद भी यहाँ पर महिलाओं को पंचायती राज में पुरुष के बराबर अधिकार नहीं दिया जाता। उन्हें आज भी पुरुषों द्वारा दबा कर रखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति दयम दर्जे की है। यदि कोई महिला आगे बढ़कर कोई कार्य करना भी चाहती है तो उसे समाज स्वीकार नहीं करता। समाज में पर्दा प्रथा, पुराने रीति-रिवाज तथा रूढ़वादिता आज भी विद्यमान हैं, जिससे महिलाएं विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पा रही हैं। कई गांवों में जातिवाद आज भी विद्यमान है। कुछ गांवों में जहां महिला सरपंच अनुसूचित जाति की हैं, वहां अन्य महिला प्रतिनिधि जो सामान्य तथा पिछड़े वर्ग की पंच महिला हैं, पंचायत की बैठकों में नहीं जातीं क्योंकि उनका मानना है कि महिला सरपंच नीची जाति की हैं और नीची जाति की महिलाओं के साथ बैठने से उनका अपमान होगा। साक्षात्कार महिलाओं की शैक्षिक योग्यता भी ज्यादा नहीं है। वर्तमान समस्या को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा शिक्षा देनी चाहिए तथा सरकार द्वारा भी महिला जागरूकता रूपी अभियान चलाने चाहिए। ताकि महिलाओं को भी पंचायती ज्ञान का ज्यादा से ज्यादा पता चले।

Author:

पत्राचार पता:

मधु

राजनैतिक विज्ञान विभाग,

सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी,

झुंझुनू-333515, राजस्थान (भारत)

Email-madhuindora@yahoo.com

फोन नंबर: +91-8814802883

References

संदर्भ:

1. गोदवा, जी. 1998. पोलिटिकल लिंकेज ऑफ वीमेन लीडर्स ऑफ पंचायती राज इन्सिचूसन: अन अम्पायरल अविडंस फरोम कर्नाटक, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंग, 25(2): 84-89।
2. जैन अस. पि. 1999. ग्राम सभा-टास्क बिफोर दा नेशन, कुरुक्षेत्र, ओक्टोबर।
3. शाह, डी.सी. 2002. पंचायती राज अँड फाइनेंस प्लानिंग इन गुजरात अँड मध्य प्रदेश, जर्नल ऑफ सोशल साइन्स, 7(2):91-96।
4. अम्बेडकर, अस.अन. 2006. न्यू पंचायती राज अट वर्क, जयपुर, ए.बी.डी. पब्लिशर।
5. राकेश शर्मा निशिय (2006)। “पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की बढ़ती भूमिका, गवालियर टाइम्स, 1-21
6. हूजा, आर. 2007, “डेमोक्रेटिक दिसंट्र लाइजेशन एंड प्लानिंग” रावत पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली।
7. कोल, अश. ओर सहनी, अस. 2009. स्टडी ऑन दा पार्टीसिपेशन ऑफ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 3(1): 29-38
8. सिन्हा हरेन्द्र, 2011, “डेमोक्रेटिक देकेंट्रीजिटीओन:ए स्टडी ऑफ विल्लेज कोनसिल इन मिज़ोरम, कुरुक्षेत्र, 59(10):111-114
9. मिश्रा, ए. के., अख्तर, अन. ओर तरीका, आस. 2011, रोल ऑफ दा पंचायती राज इंस्टीट्यूटीओन इन रुरल डेवलपमेंट, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइन्स, 7(1):44-53।
10. गंगेश्वर, के. 2012. “भारत का पंचायती राज का नामांकन, नेशनल बुक ट्रस्ट: 98।
11. डॉ. अजय रंगा, 2013. हरियाणा की पंचायती मे महिलाओं की स्थिति, दया पब्लिकेशन हॉउस, अजमेर।
12. डॉ. शिव भावना, 2013, “हरियाणा: पंचायती राज (अनुसूचित जाति व महिला आरक्षण के विशेष सन्दर्भ में)” 73 वे सवैधानिक संशोधन के प्रभावों का तुलनात्मक अध्ययन, जे. वी. पब्लिशिंग हॉउस, जोधपुर, 1-220।

13. नन्दल वि. 2013. पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूट: एक सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ हरियाणा (भारत), इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सोशल साइंस, 2(12):47-50।
14. संधू जी., शर्मा, सि.वि. 2014, फैक्टर्स इन्फ्लुसिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूट: ए स्टडी ऑफ राजस्थान, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंस एंड रिसर्च, 3(11):2547-2553
15. यादव, अ. और मधु. 2015. ए ओवरव्यू ऑफ पंचायती राज एंड 73 वा अम्मंडमेंट, रेसेअर्चर, 7(8): 62-64.
16. चौहान, पूनम अँड शर्मा, जी. 2015. कोपरेटिव इंटरवनसन अँड सोशल एम्पोवरमेंट ऑफ इंडिया वुमेन: अन एम्पिरिकल स्टडी, अभिनव, नेशनल मंथली जर्नल ऑफ रिसर्च इन कोमेर्स अँड मैनेजमेंट, 1(5):87-91।
17. गीता अँड संजय मिश्रा, 2016, पंचायती राज इंस्टीट्यूट इन इंडिया: प्रोस्पेक्ट्स अँड रेस्ट्रोस्पेक्टिव, जर्नल ऑफ ह्युमनटीज़ अँड सोशल साइन्स, 21(3):191-199।
18. उमेश गडेकर, 2016, वीमेन रिप्रजेंटेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल रिसर्च ऑफ सोशल साइंस, 5(5):6-9.

6/3/2017